रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2004/आषाढ़ 17, 1926 [रा०रा०रा०क्षे०दि० सं० 159
No. 102] DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2004/ASADHA 17, 1926 [N.C.T.D. No. 159

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2004

फा. सं. 19/512/परि. सचिव/2003/191.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 207 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारूप.—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 123 का संशोधन.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 123 में उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) अधिनियम की धारा 213 के अन्तर्गत अधिकारी/अधिकारियों के रूप में नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी या व्यक्ति/व्यक्तियों और नियम 123 में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति जो किसी उपनिरीक्षक के रैंक से कम न हो, के पास शक्ति होगी, यदि उनके पास विश्वास करने योग्य कारण है कि कोई मोटर वाहन धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करके प्रयुक्त किया गया है या किया जा रहा है या धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना प्रयुक्त किया गया है, या किया जा रहा है, जिस मार्ग पर या इलाके में या जिस प्रयोजन के लिए वाहन प्रयुक्त किया जा सकता है, उससे संबंधित परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके प्रयुक्त किया गया है या किया जा रहा है तो वह वाहन जब्त करके बंद कर देंगे और उसे समीपवर्ती थाना या पुलिस चौकी या यातायात पुलिस मंडल कार्यालय या दिल्ली पुलिस द्वारा घोषित कोई अन्य पदनामित स्थान या परिवहन विभाग के पदनामित निरोधालय में निरापद अभिरक्षा में रखेगा, उसके बदले में स्वामी को या जिस की अभिरक्षा से वाहन कब्जे में लेकर निरोधालय में रखा गया है, उसे फार्म ओ० एस० एस० में एक उपयुक्त रसीद दी जाए।

(8) पुलिस थाने या पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी या मंडल का यातायात निरीक्षक या वाहन निरोधालय के प्रभारी अधिकारी अपनी अभिरक्षा में उसे रखते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि उसमें माल है तो माल सहित वाहन निरापद अभिरक्षा में रखा गया है।

(9) संबंधित व्यक्ति, कानूनी अपेक्षाओं का पालन करने तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, वाहन की जब्ती या रोके रखने जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से 10 दिनों के अन्दर वाहन को छोड़ सकता है।

(10) यदि वाहन उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं छुड़वाया जाता है तब अधिकतम एक हजार रुपयों तक 100 रु. प्रति दिन की दर से किराया प्रभार वाहन की जब्ती या रोके रखने की तारीख से 10 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वसूला जाएगा।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव तलवार, सचिव

प्रपत्र ओ. एस. एस.

(नियम 123 देखें)

(मोटर वाहन अपराध, जब्ती पर्ची)

बुक नं.....

प्रपत्र संख्या.....

1. प्रवर्तन एजेन्सी..... 2. दिनांक.....
3. स्थान.....
4. समय..... 5. वाहन की पंजीकरण संख्या.....
6. वाहन की श्रेणी.....
7. विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किया गया अपराध.....
8. वाहन के मालिक या इंचार्ज का नाम और पता.....
9. किए गए अपराध के शमन के लिए दिनांक, समय तथा स्थान.....
10. स्थान जहां वाहन को जब्त या रोके रखने के पश्चात् रखा गया.....

(मोटर वाहन मालिक या इंचार्ज के हस्ताक्षर) (जब्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2004

No. F. 19(512)/TPT/Sectt./2003/191.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 207 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 123.—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 123, after sub-rule (6), the following new sub-rules shall be inserted, nemely :—

"(7) Any police officer(s) or the person(s) appointed as officer(s) under Section 213 of the Act and specified as such in rule 123, not below the rank of a Sub-Inspector, shall have power, if they have reasons to believe that a motor vehicle has been or is being used in contravention of the provisions of Section 3 or Section 4 or Section 39 or without the permit required by Sub-section (1) of Section 66 or in contravention of any condition of such permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used, to seize and detain the vehicle, and shall keep the same in safe custody of the nearest police station or police post or traffic police circle office or any other designated place declared by the Delhi Police or in the designated impounding pits of the Transport Department against a proper receipt to be given by him in Form O.S.S. to the owner or in charge of the vehicle from whose custody the vehicle was seized and detained.

(8) The officer in charge of the Police Station or Police Post or Traffic Inspector of the circle or the officer in charge of the impounding pit shall ensure that the vehicle is kept in safe custody along with the goods contained therein, if any, at the time of keeping the same in his custody.

(9) The conerned person may get the vehicle released within a period of ten days from the date of seizure or detention of the vehicle, as the case may be, after complying with the requirements of law and on approval of the competent authority.

(10) In case the vehicle is not got released within the period specified in Sub-rule (9), then, rental charges at the rate of one hundred rupees per day, subject to a maximum of one thousand rupees, shall be charged after the expiry of the said period of ten days from the date of seizure or detention of the vehicle."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV TALWAR, Secy.

FORM O.S.S.

(*See* rule 123)

(Motor Vehicle Offence, Seizure Slip)

Book No.....

Form No.....

1. Enforcement Agency ..... 2. Date.....
3. Place ..... 4. Time .....
5. Registration No. of Vehicle .....
6. Class of the Motor Vehicle .....
7. Offence committed with relevant provisions of law .....
8. Name of the owner or in charge of the vehicle and address .....
9. Date, time and place for compounding the offence committed .....
10. Place where the vehicle has been kept after seizure or detention .....

(Signature of the owner or in charge of the Motor Vehicle) (Signature of the Impounding Officer)

गृह पुलिस (आई)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2004

सं० फा. 13/4/2001/गृह पु.- I/स्थाप. 3009—3012.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारूप.—(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2004 कहे जायेंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 17ए में संशोधन.—दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में नियम 17ए के खंड (8) में क्रम संख्या 2, 4 तथा 12 के कॉलमों के सामने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"कॉलम संख्या	प्रविष्टियां
02 (पदों की संख्या)	04
04 (वेतनमान)	4000-100-6000 रुपये
12 (भर्ती की स्थिति में)	पदोन्नति पाँच वर्षों की स्थायी सेवा वाले हैड कांस्टेबल/एम टी (आपरेशन) जिनके पास भारी मोटर वाहन एवं मोटर साईकल का वर्तमान ड्राईविंग लाइसेंस हो।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से,

राजीव काले, अतिरिक्त सचिव

HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2004

No. F. 13/4/2001/HP-I/Estt./3009-3012.—In exercise of the power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 17 A.—In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 in Rule 17A, in clause (VIII), for the entries against columns at serial numbers 2, 4 and 12, the following shall respectively be substituted, namely :—

"Column number	Entries
02 (No. of Posts)	04
04 (Scale of Pay)	Rs. 4000-100-6000.
12 (In case of Rectt.)	Promotion Confirmed HC/MT (Ops.) with five years service in the grade having current driving license for HMV and MC."

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054